न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

म्यूटेशन अपील संख्या : 23/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
पवनी पुत्री भगाजी जाति सीरवी निवासी मुण्डारा तहसील बाली		राजस्थान राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बाली जिला-पाली (राज.)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 विरुद्ध म्यूटेशन संख्या 1914 दिनांक 15.02.2018 जो नायब तहसीलदार,बाली द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति : उभयपक्ष उपस्थित

-:निर्णय:-

दिनांक. 30.10.2023

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट पवनी पुत्री भगाजी एवं पुष्पा पुत्री भगाजी ने एक अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान लैंड रेवेन्यु एक्ट,1956 प्रस्तुत की। इसके अनुसार ग्राम मुंडारा तहसील बाली के नामांतरकरण संख्या 1914 स्वीकृति दिनांक 15.02.2018 को निरस्त करने बाबत् निवेदन करते हुए अंकित किया है कि उनके पिता स्वर्गीय भगा पुत्र दला जी एवं अन्य सहखातेदारों की कृषि भूमि खसरा न. 264, 303 306, 339, 340, 341, 342 एवं 343 कुल किता 8 कुल रकबा 10.22 हैक्टर एवं खसरा नबर 1679, 1680, 1681 कल किता 3 रकबा 6.49 हैक्टर आई हुई है। अपीलांट के पिता भगा पुत्र दला की मृत्यु दिनांक 12.05.1990 को हुई, तत्पश्चात उपर्युक्त खसरा जात की भूमि के हक हिस्से में बतौर उत्तराधिकारीगण फौतेदगी नामांतरकरण संख्या 435 एवं 436 ग्राम पचायत मुंडारा द्वारा दिनांक 01.12.1997 को स्वीकृत किया गया, जिसमे पटवारी हल्का, मुण्डारा ने मिली भगत कर नामांतरणकरण संख्या 435, 436 को भरा तथा उक्त नामांतरणकरण की जांच किये बिना ही तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत मुंडारा एवं तत्कालीन पटवारी हल्का, मुंडारा द्वारा वारिसान उत्तराधिकारीगणों की जांच किए बिना ही स्वीकृत किया गया। जिसमें राजस्व रिकॉर्ड में भगा पुत्र दला जी की पुत्रीयां पवनी व पुष्पा अपीलांट के नाम इंद्राज नहीं किए गए। केवल मात्र पुत्र दरगाराम, मगाराम व पत्नी रुपी का नाम गलत रुप से दर्ज किया गया इसकी जानकारी अपीलांट पुत्रीयों को होने पर उन्होंने उक्त म्यूटेशन 435, 436 के विरुद्ध न्यायालय उपखंड अधिकारी,बाली में अपील प्रस्तुत की, जो विचाराधीन है। उक्त अपील के विचाराधीन रहते हुए रेस्पोंडेंट संख्या 2 दरगाराम पुत्र भगाजी द्वारा अपने हिस्से की भूमि रेस्पोंडेंट संख्या 3 पुष्पा देवी पत्नी मोहनलाल को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिये बेचान कर दी एवं मिली भगत कर नायब तहसीलदार,बाली से इसका म्यूटेशन संख्या 1914 दिनांक 15.02.2018 को स्वीकृत करवा लिया जिसे निरस्त किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को नोटीस जारी किये गए रेस्पोंडेंट संख्या 3 ने अपनी जवाब बहस प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अपना हक पूर्व में ही त्याग देने से उसके भाइयों व माताजी के नाम पर म्यूटेशन खोला गया जिसका विरोध अपीलांट ने नहीं किया है। अपीलांट ने अपील उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत करना लिखा है जब अपील उक्त न्यायालय में चल रही है तो प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व आपील श्रीमान के न्यायालय में गलत पेश की है। सीपीसी धारा 10 के तहत दो अपील प्रस्तुत करने का अधिकार अपीलांट को नहीं है। भूमि रेकॉर्डेड खातेदार ने उसके हिस्सें को बेचान किया है नियम अनुसार म्यूटेशन खोला गया हैं। अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है प्रार्थी संख्या 3 ने बेचान के जरिये भूमि प्राप्त की है एवं कब्जा प्राप्त किया है। दरगाराम ने उसकी कब्जा काश्त हिस्से की खातेदारी भूमि का ही बेचान किया है जो कानूनी सही है बेचान को निरस्त करवाए बिना प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या तीन के विरुद्ध किसी प्रकार का

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

लगातार....

CamScanner

अनुतोष नहीं दिया जा सकता। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज,प्रार्थना पत्र, जवाब प्रस्तुत बहस पर गहन अध्ययन मनन पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहूंचते है कि अपीलांट रेकॉर्डेड खातेदार नहीं है अपीलांट को पहले अपने खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में दावा अपील प्रस्तुत करनी चाहिये। अतः प्रस्तुत प्रकरण एक खातेदार द्वारा अपना हिस्सा रेस्पोंडेंट संख्या 3 को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से विक्रय किया गया है जिसके आधार पर खोले गए म्यूटेशन संख्या 1914 दिनांक 15.02.2018 के निर्णय में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

30/8/23

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

CamScanner